न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 93/2012 **(225 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. श्रीमती नाथी बेवा श्रवण जाति मीणा निवासी अलवर जिला अलवर राज0 ।

..... प्रतिवादी/अपीलांट

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र मंगतूराम – फौत
   1/1. श्रीमती भौती देवी उर्फ भौरीदेवी पत्नी स्व0 रामजीलाल,
   1/2. अमीचन्द पुत्र स्व0 श्री रामजीलाल,
   1/3. धर्मसिंह पुत्र स्व0 रामजीलाल निवासी ग्राम नाहरपुर तहसील व जिला अलवर
   1/4. श्री गुड्डी बाई पुत्र स्व0 रामजीलाल पत्नी श्री जगदीश प्रसाद,
   1/5. श्रीमती सुनीता बाई पुत्री स्व0 रामजीलाल पत्नी श्री शम्मी उर्फ समय
   निवासीयान ग्राम हल्दीना तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज0 ।
2. रामकिशोर पुत्र मंगतूराम,
3. लहरीराम पुत्र मंगतू राम,
4. रामचरण पुत्र मंगतू राम,
5. हरीराम पुत्र मंगतूराम,
6. श्योदयाल पुत्र किशना,
7. ईश्वरसिंह किशना,
8. मानसिंह पुत्र किशना,
9. लक्ष्मणसिंह पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी ग्राम नाहरपुर तहसील व जिला अलवर ।

.....वादीगण/ रेस्पोडेन्टान

10. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर अलवर ।
11. राजस्थान राय जरिये तहसीलदार अलवर ।

.....प्रतिवादी/तर0 रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री शैलेन्द्र भार्गव अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री के.जी. खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–07.11.2017

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 09.08.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पो0 ने एक दावा इस्तकरारहक व हुक्म ईम्तनाई दवामी के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी ख0 नं0 39 रकबा 3 बीधा जिसके हाल ख0 नं0 226 रकबा 0.37 है0, 227 रकबा 0.27 व 228 रकबा 0.12 है0 वाके ग्राम नाहरपुर तहसील व जिला अलवर है । उक्त विवादित आराजी अपीलांटा जो एक गरीब उम्रदराज विधवा औरत है तथा अनुसूचित जनजाति की सदस्य है तथा जिसे सन् 1987 में राज्य सरकार से आवंटित की गई । आवंटी को बतौर आवंटन कब्जा व दखल दिलाया गया, तितम्बा काटकर पट्टा फीस जमा करायी व पटवारी हल्का द्वारा दखल दिलाये जाने का दैनिक डायरी में अंकन किया गया । अपीलांटा विवादित आराजी पर वक्त आवंटन से काबिज है तथा रेस्पो0 द्वारा आवंटन को निरस्त कराने बाबत जिला कलक्टर अलवर के यहां अन्तर्गत धारा 14(4) के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे जिला कलक्टर द्वारा दि0 4.5.2010 को खारिज कर दिया तथा अपीलांटा का आवंटन बहाल रखा । उक्त वाद के साथ दावा तहत न्यायालय में दायर किया गया तथा एडवर्श पजेशन के आधार पर स्वयं को खातेदार घोषित करने का निवेदन करते हुए दोनों पक्ष सहमत है कि विवादित आराजी का ताफैसला बेचान न करें । विद्धान तहत न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया । विद्धान अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों सहमति के आधार पर दि0 09.08.2012 को दोनों पक्षों को ताफैसला दावा पाबन्द कर दिया जिस निर्णय दि0 09.08.2012 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया । तहत न्यायालय की पत्रावली तलब कर विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

प्रस्तुत अपील पर उभयपक्ष के अभिभाषकगण को सुना गया । अपीलांट अभिभाषक का कथन है कि इस अपील में मूल वाद का निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय से तय हो गया है । इसलिए यह अपील अब चलने योग्य नहीं होने से यह अपील इसी स्तर पर खारिज की जावें ।

हमने विद्धान अभिभाषकगण को सुना और तहत न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । विद्धान अभिभाषक अपीलांट ने वक्त बहस जाहिर किया कि तहत न्यायालय द्वारा मूल वाद का निस्तारण कर दिया गया है । वर्तमान में इस अपील को चलाने का कोई औचित्य नहीं है । इसलिए जब मूल वाद का ही निस्तारण हो चुका है तो वर्तमान स्तर पर अब अपील चलाने का कोई उचित कारण प्रतीत नहीं होता है । इसलिए अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है ।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर का निर्णय दिनांक 09.08.2012 यथावत रखा जाता है । खर्चा अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 07.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

7.11.17

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर